राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थी का नाम	बनाम
1	41/2023	मोहन सिंह बिजारणिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि पंत भवन, सी–स्कीम जयपुर। 3. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशा.) कृषि पंत भवन, सी–स्कीम जयपुर। 4. सर्जन सिंह, कृषि अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक (वि.) सीकर।
2	579/2023	मोहन सिंह बिजारणिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि पंत भवन, सी–स्कीम जयपुर। 3. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशा.) कृषि पंत भवन, सी–स्कीम जयपुर। 4. ओम प्रकाश, सहायक निदेशक, कृषि (वि.) सीकर।

आदेश की दिनांक : 15.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इन दोनों अपीलों में एक ही अपीलार्थी है और दोनों अपीलों में अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण आदेश को चुनौती हैं। इस कारण से दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. अपील संख्या 41/2023 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक निदेशक कृषि (वि.), श्रीमाधोपुर सीकर से सहायक निदेशक, उद्यान, सीकर में किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने सहायक निदेशक, उद्यान सीकर में कार्य ग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात अल्प समय में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा सहायक निदेशक, उद्यान सीकर से सहायक निदेशक, कृषि (वि.), श्रीमाधोपुर में पुनः कर दिया गया। इस आदेश दिनांक 28.12.2022 को अपीलार्थी ने अपील संख्या–41/2023 के जरिये इस अधिकरण में चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि इस अपील में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.01.2023 पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी के आलोच्य आदेश दिनांक 28.12.2022 की क्रियान्विति को स्थगित रखा था, साथ ही यह भी आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी को

वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। इस अंतरिम आदेश के पश्चात अपीलार्थी सहायक निदेशक, उद्यान सीकर के पद पर कार्यरत है। यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.12.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी सर्जन सिंह का स्थानान्तरण सहायक निदेशक, उद्यान, कार्यालय उप निदेशक उद्यान सीकर में पदोन्नति उपरान्त किया गया था। निजी प्रत्यर्थी के द्वारा भी सहायक निदेशक, उद्यान, सीकर में उक्त आदेश से कार्य ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार वर्तमान में एक ही पद पर दो व्यक्ति कार्यरत हैं।

3. प्रत्यर्थी विभाग ने बाद में आदेश दिनांक 10.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक निदेशक, कृषि (वि.) सीकर के पद पर किया है, जिसे अपीलार्थी ने अपील संख्या–579/2023 में इस आधार पर चुनौती दी थी कि अपीलार्थी को उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 10.01.2023 में वर्तमान पदस्थापन स्थान सहायक निदेशक, कृषि (वि), श्रीमाधोपुर दर्शाया गया है, जबकि अपीलार्थी सहायक कृषि उद्यान सीकर में कार्य ग्रहण किया था, ऐसे में आदेश दिनांक 10.01.2023 बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया था। उल्लखनीय है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 579/2023 में अन्तरिम आदेश दिनांक 03.02.2023 पारित किया गया, जिसमें आदेश दिनांक 10.01.2023 की क्रियान्विति भी अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में स्थागित रखी गयी थी। वर्तमान में यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि सहायक निदेशक, उद्यान, सीकर के एक ही पद पर अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी दोनों कार्यरत हैं।

4. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से और इस बात के निवारण हेतु कि एक पद पर दो व्यक्ति कार्यरत है, को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में नये सिरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पारित करे। इस आदेश की पालना एक माह में की जाए।

5. उपरोक्त आदेश के साथ दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)